



## NGO का FCRA पंजीकरण रद्द करना

### प्रलिस के लिये:

वदिशी अंशदान वनियिमन अधनियिम, [NGO](#), [कंपनी अधनियिम, 2013](#), भारतीय ट्रस्ट अधनियिम, 1882, सोसायटी पंजीकरण अधनियिम, 1860, NGO-दर्पण प्लेटफॉर्म।

### मेन्स के लिये:

भारत में गैर सरकारी संगठनों का वनियिमन, FCRA के प्रमुख प्रावधान।

[स्रोत: द हट्टि](#)

## चर्चा में क्यों?

दो प्रमुख [गैर-सरकारी संगठनों \(NGO\)](#)- सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) और वर्ल्ड वज़िन इंडिया (WVI) के लिये वदिशी अंशदान वनियिमन अधनियिम, 2010 (FCRA) पंजीकरण रद्द किये जाने से भारत में वदिशी अंशदान को नयित्तरति करने वाले नयिमक परदृश्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

## CPR और WVI के पंजीकरण रद्द करने का क्या कारण है?

- गृह मंत्रालय के अनुसार CPR ने विकास परियोजनाओं के वरिद्ध कानूनी चुनौतियाँ प्रस्तुत करने तथा भारत में वरिध प्रदर्शनों हेतु वत्तीय सहायता प्रदान कर भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचाने के लिये वदिशों से प्राप्त अंशदान का दुरुपयोग किया है।
  - उदाहरण के तौर पर वायु प्रदूषण पर CPR की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप में करेंट अफेयर्स कार्यक्रमों के उत्पादन के माध्यम से FCRA मानदंडों का उल्लंघन शामिल है।
    - गृह मंत्रालय का दावा है कि वदिशी फंड से ऐसे कार्यक्रम प्रकाशित करना **FCRA की धारा 3** का उल्लंघन है।
- इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक कथित FCRA उल्लंघन के लिये **वर्ल्ड वज़िन इंडिया** का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।
  - वर्ष 1986 में अधनियिम के तहत **पंजीकृत सभी गैर सरकारी संगठनों के बीच WVI सबसे अधिक वदिशी दान प्राप्तकर्ता** है।

## FCRA क्या है?

- **परचिय:**
  - वदिशी सरकारों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों को प्रभावित करने के लिये स्वतंत्र संगठनों की सहायता से किये जाने वाले वत्तिपोषण की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए FCRA को वर्ष 1976 में **आपातकाल** के दौरान अधनियिमित किया गया था।
  - इसे एक **संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य** के सदिधांतों के साथ संरखित करते हुए आंतरिक सुरक्षा पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये वदिशी अंशदान को वनियिमित करने हेतु डिज़ाइन किया गया था।
- **FCRA का विकास:**
  - **2010 संशोधन:** वशिष्ट व्यक्तियों अथवा संघों द्वारा वदिशी अंशदान की स्वीकृत तथा उपयोग को नयित्तरति करने वाले नयिमों को सुव्यवस्थित करने एवं राष्ट्रीय हितों के लिये हानिकारक गतिविधियों की रोकथाम हेतु संबद्ध योगदान को प्रतबिधित करने के लिये इसे अधनियिमित किया गया था।
  - **2020 संशोधन:**
    - संबद्ध **गैर सरकारी संगठनों (NGO) के सभी प्रमुख पदाधिकारियों** को पहचान के प्रमाण के रूप में **आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा** तथा केवल भारतीय स्टेट बैंक के साथ नामित FCRA बैंक खातों के माध्यम से वदिशी अंशदान की प्राप्त की जा सकेगी।
    - वदिशी अंशदान के घरेलू अंतरण पर पूर्ण प्रतबिध।
    - प्रशासनिक व्यय सीमा को **50% से घटाकर 20%** किया गया।
- **प्रयोज्यता:** FCRA वदिशी अंशदान प्राप्त करने के इच्छुक सभी संघों, समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों के लिये पंजीकरण अनिवार्य करता है।

- नरिधारति मानदंडों के अनुपालन करने पर इसके नवीनीकरण की संभावना के साथ प्रारंभ में इसे 5 वर्षों के लिये वैध कया गया था ।
- वदिशी अंशदान के उद्देश्य: पंजीकृत संघ सामाजकि, शैक्षकि, धार्मकि, आर्थकि तथा सांस्कृतकि उद्देश्यों के लिये वदिशी अंशदान प्राप्त कर सकते हैं ।
- नगिरानी/अनुश्रवण प्राधकिरण: गृह मंत्रालय
  - वर्ष 2015 में गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों को वास्तवकि समय में सुरक्षा पहुँच के लिये कोर बैंकिंग सुवधिओं वाले बैंकों में खाते संचालति करने का आदेश दया ।
  - वर्ष 2023 में MHA ने FCRA-पंजीकृत NGO के लिये नयिमें में संशोधन कया जिसके तहत अब उन्हें अपनी वार्षकि वविरणी/रटिरन में वदिशी अंशदान के उपयोग से **सृजति परसिंपत्तिका खुलासा करना आवश्यक** हो गया है ।

## भारत में NGO को कैसे वनियमति कया जाता है?

- **परचिय:**
  - जैसा क विश्व बैंक द्वारा परभाषति कया गया है, **गैर-सरकारी संगठन** उन गैर-लाभकारी संगठनों को संदर्भति करते हैं जो पीड़ा को दूर करने, गरीबों के हतिों को बढावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनयािदी सामाजकि सेवाएँ प्रदान करने या सामुदायकि वकिास करने के लिये गतविधियिँ करते हैं ।
    - हालाँकि, भारत में NGO शब्द संगठनों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को दर्शाता है जो गैर-सरकारी, अर्ध या अर्ध सरकारी, स्वैच्छकि या गैर-स्वैच्छकि आदि हो सकते हैं ।
- **पंजीकरण एवं वनियमन:** मुख्यत: NGO **कंपनी अधनियम, 2013** की धारा 8 के तहत **ट्रस्ट, सोसायटी या कंपनी** के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं । पंजीकरण और शासन के लिये प्रत्येक फॉर्म के अपने नयिम और वनियम हैं ।
  - **ट्रस्ट: भारतीय ट्रस्ट अधनियम, 1882** या समकक्ष राज्य कानूनों द्वारा शासति, जिसके लिये चैरिटी आयुक्त के कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता होती है ।
  - **सोसायटी: सोसायटी पंजीकरण अधनियम, 1860** या इसके राज्य-वशिष्ट वविधिताओं के तहत सोसायटी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत ।
  - **धारा 8 कंपनयिँ:** वाणजियकि कंपनयिँ के समान पंजीकृत लेकनि **गैर-लाभकारी उद्देश्यों के साथ** ।
- **NGO-दरपण प्लेटफॉर्म:** यह गैर सरकारी संगठनों और केंद्रीय मंत्रालयों/वभिगों/सरकारी नकियों के बीच इंटरफेस के लिये स्थान प्रदान करता है ।
  - यह सरकार और स्वैच्छकि क्षेत्र के बीच बेहतर साझेदारी लाने और **बेहतर पारदर्शति, दक्षता तथा जवाबदेही को बढावा** देने के लिये राष्ट्रीय सूचना वजिज्ञान केंद्र के सहयोग से **नीतिआयोग** द्वारा दी जाने वाली एक नःशुल्क सुवधि है ।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????:

प्रश्न. क्या सविलि सोसायटी और गैर-सरकारी संगठन आम नागरकि को लाभ प्रदान करने के लिये लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पकि प्रतमिन प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पकि प्रतमिन की चुनौतयिँ की वविचना कीजयि । (2021)